तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/11/19	अभिभाषक उभयपक्ष व पैरोकार आवेदक उप० / बहस हेतु समय चाहा जो पत्रावली बाबत बहस दिनांक 2/12/19 को पेश हो।	
	Sd/-	
2/12/19	अभि उभयपक्ष व पैरोकार आवेदक उप० / बहस हेतु समय चाहा जो पत्रावली बहस दिनांक 3/12/19 को पेश हो।	
	Sd/-	
3/12/19	अभि० उभयपक्ष उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थी की साबिक कब्जे काश्त व खातेदारी की आ० ख० नं. 1728 रकबा 0:08 बीघा, 1728 रकबा 5:05 बीघा उनियारा खुर्द में स्थित थी व शीट में तरमीम शुदा थी जिसके बाद सेटलमेन्ट हाल ख. नं. 2295 रकबा 1.43 है० दर्ज किया गया है। तहसील टोडारायसिंह में सेटलमेन्ट का कार्य चला है। सेटलमेंट अधिकारियों को साबिक शीट में तरमीम खेतों के आधार पर हाल शीट में दर्ज करना चाहिए था अप्रार्थी के साबिक ख. नं. 1729 व 1730 दोनों का एक ही रकबा 5:19 बीघा के रूप में दर्ज थी। साबिक शीट में अप्रार्थी के ख. नं. 1730 के उत्तरी पश्चिमी ओर साबिक ख. नं. 1731 व 1732 की ओर साबिक ख. नं. 1730 का खेत शीट में निकला हुआ था। व साबिक ख. नं. 1729 के दक्षिणी ओर 1728 प्रार्थी का खेत साबिक ख. नं. 1730 तक बना हुआ था सेटलमेन्ट अधिकारियों ने साबिक शीट तरमीम इन्द्राज को नजर अन्दाज करते हुए हाल शीट गलत व अवैधानिक रूप से बिना प्रार्थी को सुने अप्रार्थीगण से साज कर बना दी। प्रार्थी के हाल में 2295 रकबा 1.43 है० की खातेदारी प्रदान की है। प्रार्थी का साबिक रकबे के अनुसार हाल में तो रकबा पूरा दे दिया लेकिन शीट गलत बनाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त के स्थान पर अप्रार्थी के खातेदारी का रकबा की तरमीम कर दी जो गलत व अवैधानिक है हाल ख. नं. 2292 रकबा 0.48 है० को साबिक ख. नं. 1730 व 1729 से व हाल ख. नं. 2293 रकबा 0.60 है० को भी ख. नं. 1730 व 1729 से बनाया है ख. नं. 2294 रकबा 0.42 है० को साबिक ख. नं. 1729 से बनाया है साबिक ख. नं. 1730 व 1729 से हाल ख. नं. 2292 साबिक व हाल शीट से कतई बनना प्रमाणित नहीं होता है हाल ख. नं. 2294 रकबा 0.42 है० में से 0.20 है० अप्रार्थीगण के पिता मोहन के समय से ही मुस्तकिल पाल कायम कर आ. ख. नंबर 2294 रकबा 0.42 है० तक अप्रार्थी के स्थान में	Sd/-

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

निरन्तर, निर्विघ्न रूप से बिना रोकटोक व बाधा के हाल ख.नं. 2294 को ख.नं. 2295 में मिलाकर मौके पर काबिज है अप्रार्थी के कब्जे काश्त के स्थान पर हाल ख.नं. 2291 को तरमीम कर अप्रार्थी की खातेदारी को प्रार्थी के कब्जे काश्त की ओर घुमाकर अप्रार्थी के खातेदारी की तरमीम कर दी। दि० 20.3.2017 को अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी कि पाल को तोड़कर हाल ख.नं. 2294 रकबा 0.42 हे० पर कब्जा करेंगे व अन्य तीगर आबित को अन्तरण कर प्रार्थी को बेदखल करेंगे जिस पर यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अगर दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण की उपरोक्त बेजाहरकतों की वजह से प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति आर्थिक रूप से कतई संभव नहीं हो सकेगी। दावा करने का अभिप्राय: समाप्त हो जावेगा। अत: प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य अपील तक प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी हाल ख.नं. 2295 रकबा 1.43 हे०, 2294 रकबा 0.42 हे० वाके ग्राम उनियारा खुर्द तहसील टोडारायसिंह में बेजाम जाहमत न करें। फसल बोने काटने से मना नहीं करें। उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थी के साम्पतिक अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचावें। अन्तरण बेचान नहीं करें। मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की साबिक आराजी के बराबर हाल आराजी खातेदारी में दर्ज है जो तरमीम में यथावत रही है। प्रार्थी यह झूठा प्रा० पत्र पेश कर अप्रार्थीगण की आराजी को हड़पना चाहते हैं प्रार्थी के साबिक ख.नं. 1727 रकबा 0:08 बीघा, 1728 रकबा 5:05 बीघा कुल किता 2 रकबा 5:13 बीघा की हाल खातेदारी ख.नं. 2295 रकबा 1.43 हे० खातेदारी रही की गई है उसी अनुरूप प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थना पत्र clean Hand से पेश नहीं किया गया है। प्रा०पत्र खारिज फरमावें।

प्रार्थी ने प्रा० पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल जमाबंदी खाता सं. 403 सम्वत 2069-72 वाके ग्राम उनियारा खुर्द, साबिक जमाबंदी संवत 2010 से 2029, सम्वत 2032-35, साबिक सीट, बंदोबस्त सीट पेश किये तथा मिलान क्षेत्रफल पेश किया।

बहस अधि० [illegible] पुनी गयी जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। आराजी ख.नं. 2295 रकबा 1.43 हे० साबिक ख.नं. 1727 रकबा 0:08 बीघा, 1728 रकबा 5:05 बीघा से बनना मुताबिक मिलान क्षेत्रफल से साबित है। साबिक शीट में ख.नं. 1727, 1728 की तरमीम जिस रूप में दर्ज है उसी के अनुसार हाल सीट में तरमीम होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं कर ख.नं. 1729, 1730 के जो हाल ख.नं. 2292, 2293, 2294 बने हैं जिनमें ख.नं. 2293, 2294 की तरमीम साबिक सीट के अनुसार नहीं दर्शायी गयी है प्रार्थना पत्र के साथ जो स्केच सीट पेश है, में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार तरमीम होनी चाहिए थी क्योंकि साबिक सीट में इसी अनुरूप तरमीम थी। साबिक ख.नं. 1727, 1728 जो खातेदार थे जिनसे ख.नं. 2295 बना है वह भी बालू पुत्र छोगा माली की खातेदारी में दर्ज है तथा आ.ख.नं. 2292, 2293, 2294 साबिक ख.नं. 1729-1730 से बने हैं जो मिलान क्षेत्रफल से जाहिर है जो वर्तमान में अप्रार्थी नं. 1, 2 के नाम दर्ज खातेदारी हैं तथा साबिक रिकार्ड में उनके पिता के नाम दर्ज थी। प्रकरण मुख्य रूप से तरमीम दुरुस्ती से संबंधित है साबिक व हाल सीट अनुसार प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया में होना प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने की सूरत में आराजी को खुर्दबुर्द करने से भी नहीं नकारा जा सकता है ऐसी सूरत में अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होना जाहिर है।

अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध तावफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण

मील म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	के मुताबिक आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी हाल ख.नं. 2295 रकबा 1.43 है०, ख.नं. 2294 रकबा 0.42 है० वाके ग्राम उनियाराखुर्द तहसील टोडारायसिंह में बेजामदाखलत न करें। फसल बोने, काटने से मना न करें। उपयोग उपभोग में बाधा न डाले व प्रार्थी के साम्पत्तिक अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचावें। अन्तरण बेचान नहीं करें। खुर्द बुर्द न करें। मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो कर्म हो। आदेश आज दिनांक 03/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। संलग्न मूल कड़ रहे। (डॉ० सूरजसिंह नेगी) उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह